


8.5.18

पंजाब की आज राज्य लोक अदालत
केस्य प्रिरोट्टा में फेरा हुई वारीसंग
व प्रलवाही सं०। स्वयं उपस्थित।
प्रलवाही के आभिजातक उपस्थित पारना
पु ०१ RSCPC पर प्रलवाही के
आभिजातक के निवेदन करते हुए कहा


निवेदन
द्वारा
21mm
व 15mm

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
	<p> डि वादी के द्वारा इस न्यायालय के आदेशों के बावजूद तलबी का स्ट्रेप नहीं लिया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 30.4.13 को 5000.रुपये हर्ष पर तलबी आदेश का अवसर दिया गया था। दिनांक 23.8.13 को न्यायालय द्वारा जरिये रजि स्ट्री तलबी कराये जाने के आदेश वही को दिये गये थे। उपरोक्त आदेशों के बावजूद भी वादी द्वारा तलबी का स्ट्रेप नहीं लिया गया है। अतः जज 09 R5 CPC स्वीकार किया जावे व शेष वादी तलबी के डिफॉल्ट में खारिज किये जाने का निवेदन किया गयावली का अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 30.4.13 को वादी को 5000रुपये के हर्ष पर तलबी के स्ट्रेप हेतु अवसर दिया गया था। दिनांक 23.8.13 को पुनः वादी को प्रतिवादीजण की तलबी हेतु रजिं एडीं से आदेश के आदेश दिये थे। लगभग 5 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी तलबी का स्ट्रेप नहीं लिया है। अतः जज 09 R5 CPC स्वीकार किया जाता है। उचित समझते हैं। आदेश है कि जज 09 R5 CPC स्वीकार किया जाता है। द्वारा वादी तलबी के डिफॉल्ट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजिलखुमार हाकर दाखिल दफ्तर है। </p>	

उपबंधाधिकारी
 धौलपुर (राज.)